



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक:-F29(41)(3)/RSSB/Result_Cell/UPT_LEVEL_2/English/2025 /

दिनांक : यथा-हस्ताक्षरित

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, लेवल द्वितीय, अंग्रेजी विषय हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम

बोर्ड द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) (लेवल-द्वितीय, कक्षा 6 से 8 तक) सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम, 2015 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2014 संशोधन नियमों के प्रावधानों के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) सीधी भर्ती, लेवल द्वितीय (अंग्रेजी विषय) के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 202 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 19 कुल 221 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन संख्या 09/2025 दिनांक 06.11.2025 संशोधित दिनांक 07.11.2025 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.01.2026 (Morning Shift 10.00 Am to 12.30 Pm) में किया गया था।

इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज सूचनाओं एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तियों के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नम्बर एवं श्रेणी क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

• डिलीट प्रश्नों का विवरण:-

ENGLISH_2025 (PQR)			
Series	Set	Questions	Deleted Ques.
●	1	1-150	56, 64, 87
○	2	1-150	23, 59, 137
■	3	1-150	37, 45, 106
□	4	1-150	7, 22, 62
◆	5	1-150	17, 52, 115
◇	6	1-150	19, 42, 72
⊛	7	1-150	47, 123, 143
⊙	8	1-150	8, 34, 111
⊞	9	1-150	40, 56, 105
⊚	10	1-150	40, 44, 124
⊘	11	1-150	33, 37, 130
⊙	12	1-150	52, 57, 122

गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 अनुसार वरीयतानुसार पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लम्बवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 02 गुणा अभ्यर्थियों के अतिरिक्त पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित (Shortlist) अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार है -

गैर अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY		CUTOFF MARKS	REMARKS
GEN	GEN	181.4558	
	FEM	181.4558	
	WID.	120.8571	
	DIV.	177.3741	
	EX	129.7687	
SC	GEN	158.2585	
	FEM	158.2585	
	WID.	105.8231	ALL
	DIV.	121.5646	AGAINST WID
	EX	99.2789	ALL
ST	GEN	152.0544	
	FEM	152.0544	
	WID.	N/A	
	DIV.	109.3605	AGAINST WID
	EX	99.1973	ALL
GEN-EWS	GEN	172.5850	
	FEM	172.5850	
	WID.	N/A	
	DIV.	145.2245	AGAINST WID
	EX	N/A	
OBC	GEN	175.4150	
	FEM	175.4150	
	WID.	120.3129	ALL
	DIV.	151.3878	AGAINST WID
	EX	123.0204	
MBC	GEN	161.5918	
	FEM	161.5918	
	WID.	N/A	
	DIV.	133.2245	AGAINST WID
	EX	95.2381	ALL
BLV		113.6054	ALL
HI		111.2789	ALL
LD/CP		126.3537	
MIMD		N/A	
SP		141.5510	

अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY		CUT OFF MARKS	REMARKS
GEN	GEN	158.9252	
	FEM	158.9252	
	WID.	N/A	
	EX	N/A	
ST	GEN	127.0612	
	FEM	127.0612	
	EX	N/A	
BLV		N/A	

सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आंकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है:-

$$\text{Total Marks of a Candidate} = \sum \left[(RQ \times KF) - \left(\frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Wrong Question}}{\text{Total No. of Question} \times 3} \right) - \left(\frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Not Attempted Question}}{\text{Total No. of Question} \times 3} \right) \right]$$

Σ = Sum of Marks
RQ = Right Questions

$$KF = \text{Key Factor} = \frac{\text{Maximum Marks}}{\text{Total No. of Questions}} \times \frac{\text{Total No. of Questions}}{\text{Number of Valid Questions}}$$

नोट:-

- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 758 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 02 गुणा कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिये ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भरने हेतु पोर्टल दिनांक 11.06.2026 से दिनांक 25.06.2026 तक खुला रहेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा।
- कोई असंगत/अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन सम्बन्धी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित हैं।
- नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

संलग्न:- परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. निजी सहा0, माननीय समस्त सदस्य महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सहा0, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सहा0, उपसचिव (परीक्षा / कार्मिक), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सलाहकार (परीक्षा / विधि / नियम / गोपनीय), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. भर्ती प्रभारी को लेख है कि संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के आगे की कार्यवाही संपादित करे।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव